रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II —Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 334] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 2, 1986/आषाढ़ 11, 1908
No. 334] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 1986/ASADHA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1986

अधिसूचना

सं. 360/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 928 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी प्रथा के अनुसार जो उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत (जिसके अन्तर्गत उसका उद्ग्रहण न किया जाना भी है) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत साधारणतया प्रचलित थी, उक्त अधिनियम की (जैसा कि वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) के प्रारंभ के पूर्व विद्यमान था) पहली अनुसूची की मद सं. 15क के अन्तर्गत आने वाले सेल्यूलोस जेनरेट पर, जिसका प्रयोग उत्पादन के कारखाने में विस्कोस फाइबर के विनिर्माण के लिए किया जाता हो, उत्पाद-शुल्क उक्त धारा 3 के अधीन, 28 फरवरी, 1982 को प्रारंभ होने वाली और 29 अक्तूबर, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था।

और ऐसे सेल्यूलोस जेनरेट पर विशेष उत्पाद-शुल्क भी ऐसे शुल्क के उद्ग्रहण के संबंध में सुसंगत विधि के अधीन, उपर्युक्त अवधि के दौरान उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त प्रथा के न होने पर ऐसे सेल्यूलोस जेनरेट पर उक्त अधिनियम, के अधीन या उक्त विधि के अधीन संदेय उत्पाद-शुल्क और विशेष उत्पाद-शुल्क का वह संपूर्ण भाग जो ऐसे सेल्यूलोस जेनरेट की बाबत संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिस पर उक्त उत्पाद-शुल्क और विशेष उत्पाद-शुल्क उक्त प्रथा के अनुसार उपर्युक्त अवधि के दौरान उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था।

[फा. सं. 93/65/85—सी. एक्स.-3]

एस. सी. जैना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 2nd July, 1986

NOTIFICATION

No. 360/86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 928(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on cellulose xanthate, falling under Item No. 15A of the First Schedule to be aid, Act. [as it existed prior to the commencement of the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986)] and used in the factory of production for the manufacture of viscose fibre, was not being levied under the said section 3 during the period commencing on the 28th day of February, 1982 and ending with the 29th day of October, 1985.

And, whereas the special duty of excise on such cellulose xanthate was also not being levied under the relevant law, relating to the levy of such duty during the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the first-mentioned Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise and the special duty of excise payable under the first-mentioned Act, or, as the case may be, under the said law on such cellulose xanthate, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such cellulose xanthate, on which the said duty of excise and special duty of excise were not being levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[F. No. 93/65/85-CX. 3]

S. C. JANA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986